

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(71)वित्त-1(1)आय.व्य/2015

जयपुर, दिनांक : 18/05/16

स्वीकृति संख्या:- 43 /2016-17

कोषाधिकारी,
उदयपुर।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पी.डी. खाते में राशि रुपये 36.00 लाख के हस्तांतरण बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ 5()/अभि/सीटीएडी/SCA Additional Amount/16-17 स्वीकृति सं. 03/2016-17 दिनांक 12.05.2016 में अंकित शर्तों के अनुसार आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पी.डी. खाते में राशि रु. 36.00 लाख (अक्षरे रूपये छत्तीस लाख) मात्र निम्न बजट मद में व्यय दर्शाते हुए हस्तांतरित कर दी जावे :-

मांग संख्या -30

2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण

02 - अनुसूचित जन जातियों का कल्याण

796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

(02) - जनजाति उपयोजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहयतार्थ अनुदान

[51] - पशुपालन परियोजना (विकेस)

12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)(आयोजना)

राशि रु. 36.00 लाख मात्र

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

Sale

(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

- 1 महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा- प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
- 2 आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
- 3 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग जयपुर।
- 4 संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर।
- 5 अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग।
- 6 अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग
- 7 रक्षित पत्रावली।

Wt/mr
संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)